आई एल आर (पंजाब और हिरयाणा) 1993 (1) 268-275

समक्ष: ए. एल. बहरी और एच. एस. बेदी (माननीय न्यायमूर्ति)

कंपनी अधिनियम 1956 का मामला -याचिकाकर्ता।

बनाम

संयुक्त वाणिज्यिक बैंक,जम्मू- प्रतिवादी।

1988 की कंपनी अपील सं. 2।

29 अक्टूबर,1991.

(1) कंपनी अधिनियम (1956 की सं-1)- अ 446 (1)-कंपनी को स्वैच्छिक रूप से बंद करने के लिए आयोजित बैठक-भले ही इसके समापन के लिए याचिका दायर की गई हो और कोई आदेश न दिया गया हो या अस्थायी परिसमापक नियुक्त न किया गया हो-मुकदमे या कार्यवाही में पारित कोई भी डिक्री स्वचालित रूप से अमान्य नहीं होगी।

अभिनिर्धारित किया गया कि भले ही स्वैच्छिक समापन के लिए याचिका दायर कर दी गई हो, लेकिन समाप्ती आदेश से पहले या अस्थायी परिसमापक की नियुक्ती से पहले, किसी भी मुकदमे या लंबित कार्यवाही में पारित कोई भी डिक्री स्वचालित रूप से अमान्य नहीं होगी।

(पैरा 9)

(2) कंपनी अधिनियम (1956 की सं1)-अ:500 से 509-दीवानी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री पक्षकारों पर बाध्यकारी होगी, चाहे वह प्रतिस्पर्धा के बाद प्राप्त हो या वह एकतरफा निर्णय हो -ऐसा निर्णय और डिक्री प्रथमदृष्टया ऋण का प्रमाण होगी।

अभिनिर्धारित किया गया कि सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री पक्षकारों के लिए तब तक बाध्यकारी होगी जब तक कि उसे अपील पर या एकपक्षीय डिक्री को दरकिनार

करने की कार्यवाही में दरकिनार नहीं कर दिया जाता। लेनदार के पक्ष में ऐसा निर्णय और डिक्री प्रथमदृष्टया देय ऋण और ऋण की प्रकृति का प्रमाण होगा कि क्या ऐसा लेनदार/डिक्री-धारक एक सुरक्षित लेनदार होगा या नहीं।

(पैरा 8)

(3) कंपनी अधिनियम (1956 की सं: 1)-सुरक्षित लेनदार-गिरवी रखी गई संपत्ति और रेहननामित वस्तुओं की बिक्री से ऋण राशि की वसूली के लिए पारित आदेश-इस तरह के आदेश से डिक्री-धारक सुरक्षित लेनदार की श्रेणी में आ जाते हैं।

अभिनिर्धारित, एकपक्षीय डिक्री की उस प्रति से पता चलता है कि रु 9,56,985.97 डिक्री की गई राशि बैंक के पक्ष में है और इसे कंपनी के खिलाफ इस निर्देश से पारित किया गया के गिरवी रखी गई संपत्ति और रेहननामित वस्तुओं की बिक्री द्वारा मूल्यह्रास राशि की वसूली की जाए ।इस तरह की डिक्री पाने पर डिक्री-धारक बैंक सुरक्षित लेनदार की श्रेणी में आ जाएगा।

(पैरा 9)

याचिका कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुभाग 483 के तहत अपील को स्वीकार करने के लिए दायर की गई । 12 दिसंबर, 1986 के आदेश में माननीय न्यायाधीश एस. पी. गोयल ने याचिका को खारिज करते हुए आदेश पारित किया।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मुनीश्वर पुरी, सुश्री दीपाली पुरी के साथ।

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता पी. डी. मेहता के साथ अधिवक्ता जे. एस. नारंग।

आई एल आर (पंजाब और हिरयाणा) 1993 (1) 268-275

निर्णय

ए. एल. बहरी, न्यायमूर्ति.

यह अपील हिंदुस्तान फॉरेस्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (जो कि परिसमापन में है) ने अपने परिसमापक श्री बी. के. कपूर द्वारा एकल न्यायाधीश के आदेश दिनांक 12 दिसंबर, 1986 के खिलाफ दायर की। उस आदेश के अनुसार कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के नियम 9 और 168 के साथ कंपनी अधिनियम के अनुभाग 446,512,518,526,528 और 529 के तहत कंपनी द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज किया गया जिसमें निदेशकों द्वारा प्रस्तुत लेनदारों की सूची में से यूनाइटेड कमर्शियल बैंक (इसके बाद 'बैंक" नाम से संबोधित किया गय) का नाम हटाने के लिए अनुरोध ककिया गया था।

(2) अपील में उठाए गए प्रश्न के निर्धारण के लिए प्रासंगिक तथ्य बहुत कम हैं और व्यापक रूप से स्वीकार किए गए हैं। कंपनी स्वेच्छा से परिसमापन में चली गई।निदेशकों ने परिसमापक को लेनदारों की एक सूची प्रस्तुत की।यूनाइटेड कमर्शियल बैंक सूची में दिखाए गए लेनदारों में से एक था।परिसमापक द्वारा बैंक को देय राशि अदा करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे।बैंक ने न्यायालय द्वारा पारित अपने पक्ष में एकपक्षीय आदेश प्रस्तुत किया।परिसमापक ने यह कहते हुए डिक्री को टाल दिया कि अधिनियम के अनुभाग 528 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस डिक्री को अन्य लेनदारों पर धोखाधड़ी से तरजीह पाने के लिए प्राप्त किया गया था। उसने उपरोक्त आदेश को अमान्य घोषित कर दिया।कंपनी द्वारा दायर याचिका में बैंक का नाम लेनदारों की सूची से हटाने का आदेश दिया गया था।

(3) बैंक द्वारा लिया गया रुख यह है कि डिक्री आवश्यक प्रक्रिया का पालन करने के बाद पारित की गई थी और इसे परिसमापक द्वारा अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता। बैंक एक सुरक्षित लेनदार है। निम्नलिखित मुद्दा तैयार किया गया था जिसका निर्णय एकल न्यायाधीश ने किया:

दिए गए तथ्यों पर क्या वर्तमान याचिका कंपनी अधिनियम के अनुभाग 446, 512, 518, 526, 528 और 529 के तहत अमान्य नही है?

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री मुनीश्वर पुरी ने तर्क दिया कि मुद्दे के अनुसार बैंक को एक सुरक्षित लेनदार होने का सबूत पेश करना होगा और बैंक के पक्ष में कोई उपधारना नहीं बनाई जा सकती।इस संदर्भ में यह तर्क दिया गया है कि एकल न्यायाधीश के समक्ष लंबित कार्यवाही में पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया था।इन तर्कों में कोई बल नहीं है।मामले के रिकॉर्ड से पता चलता है कि 24 सितंबर, 1982 को एकल न्यायाधीश द्वारा उपरोक्त मुद्दा तैयार किया गया था।दूसरा मुद्दा राहत से संबंधित था।न्यायाधीश द्वारा यह बताया गया था कि पार्टियों के वकील साक्ष्य का नेतृत्व नहीं करना चाहते थे और इस प्रकार मामले को बहस के लिए स्थगित कर दिया गया था।उपरोक्त मुद्दों को तैयार करने के पड़ाव पर पार्टियों के वकील द्वारा दिये गए बयानों को देखते हुए, अब अपीलकर्ता के वकील यह शिकायत नहीं कर सकते कि अपीलकर्ता या प्रतिवादी को बनाए गए मुद्दे पर एकल न्यायाधीश द्वारा किसी भी साक्ष्य का नेतृत्व करने की अनुमति नहीं दी गई थी।

(4) कंपनी द्वारा दायर याचिका में विशेष रूप से कहा गया था कि बैंक के पक्ष में एकपक्षीय आदेश था।इस तथ्य को बैंक द्वारा दायर लिखित बयान में स्वीकार किया गया है।जिस तथ्य को स्वीकार किया जाता है, उसे साक्ष्य प्रस्तुत करके साबित करने की आवश्यकता नहीं होती।विद्वान एकल न्यायाधीश ने विवादित आदेश में ठीक ही बताया कि बैंक के पक्ष में एकपक्षीय डिक्री पारित करने का तथ्य स्वीकार किया गया था। अधिवक्ता श्री मुनीश्वर पुरी की दलील, कि एकल न्यायाधीश के समक्ष अपीलकर्ता के वकील द्वारा कोई स्वीकारोक्ति नहीं की गई थी, का कोई महत्व नहीं है, जबकि पक्षों के अभिवचनों में यह तथ्य स्वीकार किया गया है।

(5) पारित डिक्री की प्रकृति को उल्लिखित करने के लिए उसकी प्रति बहस के दौरान दिखाई गई थी। डिक्री की राशि का भुगतान करने के लिए गिरवी रखी गई संपत्ति और रेहननामित वस्तुओं को बेचना आवश्यक था। एक डिक्री-धारक, जिसने धन की वसूली के लिए एक डिक्री प्राप्त की है जिसमें गिरवी संपत्ति या रेहननामित वस्तुओं पर प्रभारित किया गया है, वह एक सुरक्षित लेनदार होगा।एक सुरक्षित लेनदार की स्थिति पर उच्चतम न्यायालय द्वारा **एम. के. रंगनाथन और अन्य बनाम मद्रास सरकार और अन्य**[1] मामले में पूरी तरह से चर्चा की गई है, जिसमें निर्णय के पैरा 20 में यह निम्नानुसार कहा गया :–

“सुरक्षित लेनदार परिसमापन के फेर से बाहर है और वह निजी संधि या सार्वजनिक नीलामी द्वारा गिरवी रखे गए संपत्ति की बिक्री करके अदालत के हस्तक्षेप के बिना अपने पैसे वापिस ले सकता है। जब अनुभाग 232 (1) के अंतरगत किसी भी कुर्की, संकटग्रस्त संपित्त या निष्पादन को लागू करके या अनुभाग 171 के अर्थ के भीतर कंपनी के खिलाफ मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू करके अदालत का हस्तक्षेप मांगा जाता है तब अदालत की अनुमति आवश्यक है और यदि ऐसी कोई अनुमति प्राप्त नहीं की जाती है तो सुरक्षित लेनदार कोई राहत नहीं ले सकता।”

निर्णय के पैरा 21 में यह निम्नानुसार कहा गया : –

“अधिनियम 22 के अनुभाग 232 (1) में अंतःस्थापित शब्द " अदालत की अनुमति के बिना किसी भी संपत्ति की आयोजित की गई बिक्री" सिर्फ उन बिक्रीयों की ओर ईशारा करता है जो अदालत के हस्तक्षेप से की गई हो न कि वो बिक्रीयाँ जो सुरक्षित लेनदार परिसमापन के बाहर और न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना करे। अतः ऐसी बिक्री सभी संबंधित पक्षों के लिए वैध और बाध्यकारी है।”

---

[1] ए आई आर 1955 एस सी 604।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया उपरोक्त मामला पुराने कंपनी अधिनियम के तहत था। 1956 में संसद ने 1956 का कंपनी अधिनियम संख्या 1 अधिनियमित किया।सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपात 1956 के अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या करते हुए काम करता रहेगा क्योंकि इस विषय से संबंधित प्रासंगिक प्रावधानों में कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ है।

(6) अधिनियम का भाग 7 अध्याय 1 अनुभाग 425 में कंपनी को बंद करने के तीन तरीके बताए गए हैं। (ए) न्यायालय द्वारा; या (बी) स्वैच्छिक; या (सी) न्यायालय के पर्यवेक्षण के अधीन। अधिनियम के अनुभाग 425 (बी) के तहत, समापन पर अधिनियम के प्रावधान इन तरीकों पर लागू होगे जब तक कि इसके विपरीत कोई प्रावधान न हो। अध्याय II न्यायालय द्वारा कंपनी को बंद करने के विषय से संबंधित है और अनुभाग 446 उपरोक्त अध्याय के तहत आता है। अध्याय III कंपनी के स्वैच्छिक समापन से संबंधित है।यह प्रक्रिया कंपनी द्वारा अनुभाग 484 के तहत पारित किए गए विशेष प्रस्ताव के साथ शुरू होती है जिसे अनुभाग 485 के तहत प्रकाशित किया जाना आवश्यक है। अनुभाग 486 के तहत समापन की प्रक्रिया उपरोक्त प्रस्ताव के पारित होने के साथ शुरू होती है।कंपनी के स्वैच्छिक समापन के सदस्यों पर अनुभाग 490 से 498 लागू होते हैं और अनुभाग 500 से 509 के प्रावधान लेनदारों के स्वैच्छिक समापन पर लागू होते हैं। अनुभाग 511 से 521 तक के प्रावधान प्रत्येक स्वैच्छिक समापन पर लागू होते हैं। अनुभाग 518 परिसमापक को एक उचित आदेश पारित करने और परिसमापन शुरू होने के बाद कंपनी की संपत्ति या प्रभावों के खिलाफ कुर्की, संकटग्रस्त करने या निष्पादन के किसी भी आदेश को दरकिनार करने के लिए अदालत का रुख करने का अधिकार देता है। अनुभाग 518 (4) के तहत ऐसा आदेश पारित करने पर विमर्श किया जाता है।स्वैच्छिक समापन के लिए एक प्रस्ताव का पारित होना, अदालत द्वारा या उसकी देखरेख में समाप्त करने के आदेश जैसे, किसी भी कार्यवाही पर रोक नहीं लगाता है या अदालत की अनुमति के बिना कंपनी के खिलाफ मुकदमे या कार्यवाही को लाए जाने या जारी रखने से नहीं

रोकता ।लेकिन अनुभाग 518 के तहत किए जा रहे आवेदन पर, अदालत को कंपनी या उसकी संपत्तियों के खिलाफ किसी भी कार्यवाही, कुर्की आदि पर रोक लगाने का अधिकार है।जब तक रोक प्राप्त नहीं होती, कंपनी के खिलाफ कोई भी कार्यवाही शुरू की जा सकती है या जारी रखी जा सकती है।

(7) पार्टियों के वकीलों ने अधिनियम के अनुभाग 446 पर भी ज़ोर दिया । अधिनियम की अनुभाग 446 (1) निम्नानुसार हैः-

"जब परिसमापन आदेश दिया जाता है या आधिकारिक परिसमापक को अस्थायी परिसमापक के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो कंपनी के खिलाफ कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी, या यदि परिसमापन की तारीख पर मुकदमा या कार्यवाई लंबित है, तो अदालत की अनुमति और शर्तों के अलावा उसमें बढ़ नही सकते।"

उपरोक्त प्रावधान के तहत लंबित मुकदमों या कार्यवाहियों में उन आदेशों या फरमानों को अमान्य घोषित किया जाता है जो ऐसे मुकदमों या कार्यवाहियों में पारित किए गए थे जिन्हे समापन आदेश पारित करने या अस्थायी परिसमापक के रूप में आधिकारिक परिसमापक की नियुक्ति के समय लंबित रखा गया। जब किसी ऐसे मुकदमा या कार्यवाही के साथ आगे बढ़ने के लिए न्यायालय की अनुमति हो तो केवल उस मुकदमे या कार्यवाई पर ऐसा प्रावधान नही लगता।उपरोक्त प्रावधान को वर्तमान मामले में प्राप्त डिक्री पर लागू करने के लिए यह कहा जा सकता है कि कंपनी द्वारा दायर याचिका में कोई दावा नहीं लिया गया कि वर्तमान एकपक्षीय डिक्री समापन आदेश या परिसमापक नियुक्ति के बाद पारित की गई थी। भले ही स्वैच्छिक समापन के लिए याचिका दायर की गई हो, लेकिन समापन का आदेश या अस्थायी परिसमापक नियुक्त किए जाने से पहले किसी भी मुकदमे या लंबित कार्यवाही में पारित कोई भी डिक्री स्वचालित रूप से अमान्य नहीं होगी।याचिका में उल्लेख किया गया है कि ऋणदाताओं की बैठक 8 नवंबर, 1974 को हुई थी, जिसमें कंपनी को स्वैच्छिक रूप से बंद करने का निर्णय

लिया गया था।यह अपने आप में अधिनियम की अनुभाग 446 (1) के प्रावधान को आकर्षित नहीं करेगा। अनंतिम परिसमापक की नियुक्ति 27 फरवरी, 1975 को 1974 के सी. पी. संख्या 169 (अपीलार्थी के वकील द्वारा प्रदान की गई जानकारी) में की गई थी।वर्तमान मामले में 30 जुलाई, 1974 को एकपक्षीय डिक्री पारित की गई थी जबकि अस्थायी परिसमापक की नियुक्ति उसके बाद हई थी। हालांकि समाप्त करने के लिए एक याचिका पहले से ही लंबित थी।

(8) दूसरा प्रश्न विचारहीन यह है कि क्या परिसमापक के पास सिविल कोर्ट द्वारा पारित डिक्री को अमान्य घोषित करने का अधिकार था और डिक्री धारक को लेनदारों की सूची से अनदेखा करना उचित था? अपीलकर्ता के वकील ने यह तर्क दिया कि आधिकारिक परिसमापक एक डिक्री को अमान्य घोषित करने में सक्षम है अगर वो संदेह वाली परिस्थितियों में पारित की गई। अपीलकर्ता के वकील ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के **यूनियन ऑफ इंडियन शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड (परिसमापन में) बनाम बृज लाल जगन्नाथ**[2] निर्णय पर बहस आधारित की। न्यायालय की कुछ टिप्पणियाँ अपीलकर्ता के लिए मददगार हैं। फरमानों के संबंध में एक अंतर निकाला गया था, एक वो जो वास्तविक प्रतियोगिता के बाद पारित किए गए और अन्य वो जो प्रतिवादी के प्रवेश पर पारित किए गए। यह निम्नानुसार देखा गयाः–

"*जहाँ एक ओर दावेदार/ लेनदार और कंपनी (जो बाद में परिसमापन में चली जाए) के बीच वास्तविक प्रतिस्पर्धा रही हो और पक्षों ने मामले ईमानदारी से लड़ा हो, आधिकारिक परिसमापक के लिए मामले को फिर से खोलने और एक नए मुकदमे की तरह चलाना अनुमत नही है।लेकिन, दूसरी ओर, जहां डिक्री मामले के परीक्षण पर ना दी गई हो, तो आधिकारिक*

[2] ए आई र 1927 ईलाहाबाद 426।

परिसमापक का उस डिक्री को दरकिनार करने और "निर्णय का विचार" करने के लिए पूछना उचित नहीं होगा।" न्यायालय ने यह भी पाया कि:

"*जहां निर्णय दिवालिया की स्वीकारोक्ति पर प्राप्त किया गया हो, वहां परिसमापक के लिए डिक्री को अमानवीय घोषित करवाने और दावे का प्रमाण मांगने का अधिकार है।"*

यह देखा गया कि निर्णय ऋण का प्रथमदृष्टया प्रमाण होगा। हालाँकि जब ऐसी परिस्थितियाँ हो जहाँ ऋण के आकलन पर संदेह हो तो निर्णय को दरकिनार किया जा सकता है और स्वतंत्र प्रमाण की मांग की जा सकती है। चाहे उपरोक्त निर्णय तथ्यों के आधार पर अलग है क्योंकि वर्तमान मामले में निर्णय स्वीकारोक्ति पर आधारित नहीं है, हमारी राय है कि एक दीवानी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री पक्षों पर बाध्यकारी होगी, चाहे वह प्रतिस्पर्धा के बाद प्राप्त किया गया हो या अन्यथा, जैसे एकपक्षीय मामले, जब तक कि वह एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने की कार्रवाई में या अपील में रद्द नहीं कर दिया जाता।लेनदार के पक्ष में ऐसा निर्णय या डिक्री, प्रथमदृष्टया ऋण और ऋण की प्रकृति का प्रमाण होगा और इस बात का भी परमाण होगा कि क्या ऐसा लेनदार/डिक्री धारक एक सुरक्षित लेनदार होगा या नहीं।

(9) एकपक्षीय डिक्री की प्रति से पता चलता है कि रुपये 9,65,985.97 वसूली की डिक्री बैंक के पक्ष में और कंपनी के खिलाफ पारित की गई है, जिसमें गिरवी रखी गई संपत्ति और काल्पनिक वस्तुओं की बिक्री द्वारा मूल्यह्रास राशि की वसूली के लिए आगे का निर्देश दिया गया था। इस तरह की डिक्री से लैस डिक्री धारक बैंक सुरक्षित लेनदार की श्रेणी में आएगा।इस चरण पर बैंक का नाम सुरक्षित लेनदारों की सूच से नही हटाया जा सकता।ये मामले इस अपील पर निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।इन मामलों में कंपनियों के परिसमापन से पहले ही कंपनियों की संपत्तियों की कुर्की हो गई थी और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि केवल कुर्की के आदेश प्राप्त करने से, फरमान पारित करने से, ऐसे डिक्री-धारक सुरक्षित लेनदार नहीं बन जाते ।वर्तमान मामलों में जब भी इस तरह की याचिकाएं उठाई जाएंगी, तो संबंधित

प्रश्न पर निर्णय लिया जाएगा।इस मामले में इस विषय पर आगे कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है।यह कहा गया है कि एकपक्षीय आदेश को दरकिनार करने के लिए अलग-अलग कार्यवाही पहले ही शुरू की जा चुकी है और इस प्रकार उन कार्यवाही पर उठाए जाने वाले अन्य प्रश्नों पर अलग से निर्णय लिया जाएगा।अन्यथा एम. के. रंगनाथ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षित लेनदारों पर लागू कानून की स्थिति पहले ही निर्धारित कर दी गई है।जब तक एकपक्षीय डिक्री को दरकिनार नहीं किया जाता है, तब तक यह पक्षकारों के लिए बाध्यकारी है और उसी को ध्यान में रखते हुए एकल न्यायाधीश द्वारा इस मुद्दे पर सही निर्णय है।इस चरण पर बैंक का नाम सुरक्षित लेनदारों की सूची से हटाया नही जा सकता है।यह अपील विफल होती है और खारिज कर दी जाती है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

शिवदेव शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

अम्बाला, हरियाणा